न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 35/2019 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. सुरेश पुत्र रामस्वरूप उम्र 55 वर्ष द. पु. जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देहलाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति सुधारानी मीना नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा हाल कार्यवाहक तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र पत्रावली मुन्तकिली अ. धारा 235 आर. टी. एक्ट बाबत रिमाण्ड नामान्तरकरण पत्रावली बउनवानी प्रकरण सुरेश बनाम राज. सरकार मु. नं. 2/2018)

उपस्थितिः— 1. श्री रामबाबू शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2.पैरोकार सरकार उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 18.02.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा के समक्ष रिमाण्ड नामान्तरकरण पत्रावली बउनवानी सुरेश बनाम राज. सरकार मु. नं. 2/2018 विचाराधीन है। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन बउनवानी प्रकरण सुरेश बनाम राज. सरकार को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इस प्रकरण में दुर्भावना पूर्वक कार्य कर रहे है। जबकि उन्हें न्याय की कुर्सी पर बैठकर वास्तव में न्याय ही करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजनीतिक व माफिया लोगो के प्रेशर में आकर प्रकरण में गलत निर्णय करना चाहते है, दिनांक 5.8.2019 को जब प्रार्थी अपनी तारीख पेशी पर गया तो पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐलानिया कहा की मैं एक दो दिना में इस प्रकरण का फैसला करूंगी। प्रार्थी को तहसीलदार रामगढ पचवारा से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रिमाण्ड नामान्तरकरण पत्रावली बउनवानी सुरेश बनाम राज. सरकार मु. नं. 2/2018 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया गया।

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस में पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप झूठे एवं मनगढन्त है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा से प्रार्थी को न्याय मिलने की संभावना नहीं होना व्यक्त किया गया है। तहसीलदार रामगढ पचवारा ने भी अपनी टिप्पणी में प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने में भी कोई आपत्ति नहीं होने का अंकन किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा के यहां विचाराधीन रिमाण्ड नामान्तरकरण पत्रावली बउनवानी सुरेश बनाम राज. सरकार मु. नं. 2/2018 को न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा के न्यायालय से तहसीलदार लालसोट के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ पचवारा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली आगामी दिनांक 13.3.2020 से पूर्व न्यायालय तहसीलदार लालसोट के यहां भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा एवं तहसीलदार लालसोट को पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official